

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री जौहरी प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, 231, चूरामनपुर, भुल्लनपुर, वाराणसी ।
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 104 / 09, 26.10.2009
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री जौहरी प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, 231, चूरामनपुर, भुल्लनपुर, वाराणसी द्वारा दिनांक 26.10.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दायित्व किया गया, जिसमें उनके द्वारा 'Playing Cards' पर, करदेयता की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 29.01.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रार्थना-पत्र संख्या-48 / 08 सर्वश्री सिमरन इन्टर प्राइजेज, 81 / 60 सब्जी मण्डी, कानपुर के प्रकरण में दिनांक 28.03.2008 को निर्णय देते हुए Playing Cards को स्पोर्ट्स गुड्स की श्रेणी में मानते हुए करदेयता निर्धारित की गई थी । तत्पश्चात नोटिफिकेशन संख्या-क0 नि0-2-1021 / XI.....दिनांक 09.04.2008 द्वारा शिड्यूल-1 के क्रमांक-51 पर Sports goods excluding apparels and Sports footwear ; Stop clock की प्रविष्टि रखी गयी है। उक्त नोटिफिकेशन के अनुसार Playing Cards स्पोर्ट्स गुड्स माने जाने के कारण शिड्यूल-1 के अन्तर्गत प्रतीत होता है । आगे कहा गया है कि स्पोर्ट्स गुड्स के अन्तर्गत Play, Fun, Amusement, Games, Pastime, Diversion आदि क्रियायें परिभाषित हैं और Playing Cards से भी उक्त क्रियाओं की अनुभूति होती है । अन्त में Playing Cards को स्पोर्ट्स गुड्स में समाहित मानते हुए करदेयता की स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी द्वारा पत्र संख्या-2579, दिनांक 03.12.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित पॉचों बिन्दु उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के आदेश एवं नोटिफिकेशन पर आधारित हैं । धारा-59 के आदेश दिनांक 28.03.2008 में Playing Cards को स्पोर्ट्स गुड्स के अन्तर्गत माना गया है । तत्समय स्पोर्ट्स गुड्स उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II, भाग-ए के क्रमांक-117 पर 4% की दर से करदेयता होने के कारण Playing Cards पर 4% की करदेयता माना गयी थी । परन्तु बाद में दिनांक 09.04.2008 से स्पोर्ट्स गुड्स उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-51 पर प्रतिस्थापित कर दी गई है जिसके कारण दिनांक 09.04.2008 से स्पोर्ट्स गुड्स के अन्तर्गत Playing Cards भी करमुक्त की श्रेणी में आ जाने के कारण करमुक्त होना चाहिए ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी

सर्वश्री जौहरी प्रिन्टर्स प्राइवेट लिमिटेड / प्रा0 पत्र सं0-104 / 09 / धारा-59 / पृष्ठ-2

द्वारा प्रेषित आख्या से सहमति व्यक्त की गई है तथा कहा गया है कि दिनांक 09.04.2008 से Playing Cards करमुक्त की श्रेणी में आ जाने के कारण इस पर करदेयता शून्य होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि नोटिफिकेशन दिनांक 09.04.2008 से उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-51 पर अन्य वस्तुओं के साथ “ Sports goods excluding apparels and Sports footwear ; Stop clock ” की प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2008 में विवेचना करते हुए Playing Cards को स्पोर्ट्स गुड्स के अन्तर्गत माना गया है। अतः Playing Cards स्पोर्ट्स गुड्स के रूप में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-51 पर वर्गीकृत है इसलिए Playing Cards करमुक्त होगा।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 20 फरवरी, 2014

ह0 / 20.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।